भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

28 DEC 2011

TWENTY RUPEES

NOTARIAL RUPEES FIVE

NOTARIAL RUPEES FIVE

INDIA NON JUDICIAL

नवीन चन्द्र ... स्टाम्प विक्रेता रामनगर (नैनीताल)

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

01AA 072163

NOTARY R.P.S. RAWAT ... GOVT. OF U.K. INDIA

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

.......61 विधान सभा-रामनगर..........................निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

..........(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

मैं ......[illegible]............ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री [illegible]
....56.. आयु .... वर्ष, जो 2012 ..../की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं :–

1. मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधो) का/की अभियुक्त नही हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधो) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ....X..........
(ii) पुलिस थाना (थाने) .... जिला (जिले).......... राज्य ....
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ....X..........
(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....X.....
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/थे ....X.......
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं ....X..........

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नही किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

[signature]

क्रमशः 2

(2)

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं X

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है X

(iii) पुलिस थाना (थाने) .... X .. जिला (जिले)....... X ......राज्य X

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है .... X ....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे X

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है X रोके गए है .... X ....

स्थान : रामनगर

तारीख : 11/1/2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूं कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नही है और कोई तात्विक बात छिपायी नही गई है।

.... रामनगर .... स्थान पर आज तारीख .... 11/1/2012 .... को सत्यापित किया।

NOTARY
R.P.S. RAWAT
Advocate
Ramnagar (Nainital)
Reg. No. 11(10)02
GOVT. OF U.K. INDIA

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्ररूप के वे स्तंम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नही है, काट दिए जाएं।

Certified that ... Ledadhar
the Deponent identified by Self
Sworn & Verified the contents of
this Affidavit of Ramnagar

11/1/12

Rajpal Singh Rawat
Notary RAMNAGAR
Distt. Nainital (U.K.)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्याः 3/ई0आर0/2011/एस.डी.आर — दिनांक : 25 फरवरी, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय:– आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसंपत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के लिए परिशोधित फार्मेट – अभ्यर्थियों द्वारा उनके नामनिर्देशन पत्र सहित दाखिल किए गए शपथपत्र ।

महोदय/महोदया,

सिविल अपील संख्या 2002 की 490 में दिनांक 13 मार्च, 2003 के निर्णय तथा आदेश के अनुसरण में आयोग ने दिनांक 27 मार्च, 2003 के आदेश सं0 3/ई.आर/2003/जे.एस–II के द्वारा एक फार्मेट निर्धारित किया है जिसमे संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसम्पत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में सूचना देते हुए शपथपत्र दाखिल करना होता है ।

2. तब से अनुभव के आधार पर, आयोग ने अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में निर्वाचकों को और बेहतर तथा प्रभावी सूचना देने के लिए फार्मेट में कुछ संशोधन किए है । शपथपत्र का नया फार्मेट इसके साथ संलग्न है । यह फार्मेट अब से सभी निर्वाचनों के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

3. नया फार्मेट राज्य में सभी निर्वाचन अधिकारियों में परिचालित किया जाए तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, सभी राजनीतिक पार्टियों (मान्यता प्राप्त पार्टियों की राज्य ईकाईयों सहित) के संज्ञान में लाया जाए ।

भवदीय,

ह/0

(के0एफ0विलफ्रेड)

प्रमुख सचिव